BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Respondent No. 6

IN

Original Application No. 1292/2024

Ganesh Singh Panchal

Petitioner

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-4
3.	**Annexure No. 1** (Report of Regional Officer dated 02.01.2025)	5-18
4.	**Annexure No. 2** (Letter to UJVNL dated 03.01.2025)	19

Dated: January, 2025

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 13/01/2002

MUKESH VERMA
Advocate for UKPCB
Chamber No. 50, Old Block,
Supreme Court of India, New Delhi

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Respondent No. 6

IN

Original Application No. 1292/2024

Ganesh Singh Panchal

Petitioner

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

Affidavit of Shri Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Shri M.B. Dhakate presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Paryavaran Bhawan, IT Park, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit.

2. That the above noted O.A. was listed for hearing on 25.11.2024, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

   "*6. Office shall issue notices to the above respondents who shall file their reply with regard to the compliance of Tribunal's order dated 09.08.2017 passed in O.A. No.498/2015 Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. Within one month from the date of receipt of notice.*

   ...."

3. That in compliance of the above directions, it is humbly submitted that an inspection of site was conducted on 16.12.2024. That it is pertinent to mention here, report pointed out that the Parvatiya Power Pvt. Ltd. (mini hydel power less than 25 MW) comes under the white category as per the Categorization of Industries, 2016 issued by the Central Pollution Control Board where above category industries are not required to obtain consent to operate from the State Pollution Board. In this connection, copy of report dated 02.01.2025 along with its annexures is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

NOTARY :: GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) :: Jitender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

4. That the report also mentioned
   "................उपरोक्तानुसार न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) के आंकलन के संबंध में संबंधित विभाग से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा।..........."
5. In this connection our office has sought details from Uttarakhand Jal Vidhut Nigam Ltd. Vide letter no. 1481 dated 03.01.2025, whose

response is still awaited. Copy of above letter is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on the 10 day of January, 2025, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Deponent

Dated- 10...January 2025

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

209/25

This affidavit is sworn before me by Shri ...Pankaj Mudhe Dakar...
who is identified by Shri ....
at Dehradun on..........

10/1/25

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

FILED BY

MUKESH VERMA
Advocate for UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB Ph No- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक–यूकेपीसीबी / आर0ओ0एच0 / रि2 / 24 / 2253-1043 दिनांक:– 02/01/2025

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–1292 / 2024 **Ganesh Singh Panchal Vs. State of Uttarakhand & Ors.** के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–837 / 2024 / 1340 दि0 12.12.2024 के अनुपालन में सन्दर्भित मै0 पर्वतीय पावर लि0 मुनार, लोहारखेत, जिला–बागेश्वर का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दि0 16.12.2024 को किया गया है। निरीक्षण आख्या संलग्नको सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

Anurag 02/01/2025

(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–1292/2024 Ganesh Singh Panchal Vs. State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दि0 25.11.2024 के अनुपालन में आख्या–

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन **संख्या–1292/2024 Ganesh Singh Panchal Vs. State of Uttarakhand & Ors.** में दिनांक 25.11.2024 को आदेश पारित किये गये है। पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"Office shall issue notices to the above respondents who shall file their reply with regard to compliance of Tribunal's order dated 09.08.2017 passed in O.A No. 498/2015 Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. Within one month from the date of receipt of notice"

List for further hearing on 15.01,2025.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–01)

उक्त संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–837/2024/1340 दिनांक 12.12.2024 के अनुपालन में संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.12.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री अजय जोशी (सहायक प्रबंधक) की उपस्थिति में किया गया। (संलग्नक–02)

स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. मै0 पर्वतीय पावर प्रा0लि0 (4.8 MW) जल विद्युत परियोजना मुनार, लोहारखेत (Longitudes-79°59'30''E, Latitudes-30°02'00"N) तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर में सरयू नदी पर स्थापित/संचालित है।

2. जनपद–बागेश्वर के लोहारखेत जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु मै0 पर्वतीय पावर प्रा0लि0, रानीखेत के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के पत्र संख्या–8 बी/यू0पी0सी0/01/45/2006 /एफ0सी0/2931 दिनांक 17.02.2006 के द्वारा शर्तो के साथ 2.876 है0 वन भूमि 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त शासनादेश संख्या–1045/7–1–2006–300(1421)/2006 दिनांक 07.03.2006 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। (संलग्नक–02)

3. उक्त जल विद्युत परियोजना का जल संग्रहण क्षेत्र सरयू नदी पर स्थित है तथा परियोजना की संरचना ट्रन्च टाइप वियर की है। परियोजना के पावर हाउस में (1.6 MW X 3) क्षमता की तीन टरबाईनें स्थापित है। निरीक्षण के दौरान एक टरबाईन (1.6 MW) संचालन में पायी गयी। (संलग्नक–03)

4. मै0 पर्वतीय पावर प्रा0लि0 (4.8 MW) मुनार परियोजना द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई–फ्लो) के आंकलन हेतु इनटेक प्वाइंट पर कोई भी श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट के संचालन की स्थिति में इनटेक चैनल से 15 प्रतिशत विद्युत लोड़ कम कर टरबाईन मशीन चलाने हेतु पानी टनल में लेकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा 15 प्रतिशत पानी ओवर फ्लों के रूप में नदी में वापस प्रवाहित होता है। जिसे इनटेक प्वाइंट पर बने गेट से नियंत्रित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान परियोजना के जल संग्रहण प्वाइंट से पावर हाउस तक के नदी क्षेत्र में जल–प्रवाह सामान्य रूप से प्रवाहित पाया गया। (संलग्नक–04)

5. जल विद्युत परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी औद्योगिक वर्गीकरण–2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत (मिनी हाईडल पावर 25 मेगावाट से कम) सफेद श्रेणी में आच्छादित है। सफेद श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित इकाईयों को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था से बाहर रखा गया है। (संलग्नक–05)

उपरोक्तानुसार न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई–फ्लो) के आंकलन के संबंध में संबंधित विभाग से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा। आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(चन्द्रबल्लभ जोशी)
अनु0सहायक

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

02/01/2025

Item No.02 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1292/2024

Ganesh Singh Panchal Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand Respondent(s)

Date of hearing: 25.11.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None

ORDER

1. A letter petition dated 08.03.2024 has been received from Ganesh Singh Panchal, Jeet Nagar, Mandalsera, Post and District Bageshwar, State of Uttarakhand complaining about discharge of water in river violating the minimum requirement as per directions of this Tribunal and thereby disturbing the continuous e-flow of river only in the grid of generation of electricity, that is for commercial purposes, and thereby disturbing ecological balance of river.

2. It is said that in O.A. No.498/2015 (M.A. No. 628/2016) this Tribunal vide order dated 09.08.2017 directed that all rivers in the country shall maintain minimum 15% to 20% of average lean season flow of river.

observed by Parvatiya Power Ltd., Munar which is a Hydro Electric Power Project functioning at Loharkhet, District Bageshwar.

3. This letter petition has been registered as Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') for exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401***.

4. However, we find that complaint is basically with regard to non-compliance of order dated 09.08.2017 passed by Tribunal in O.A. No.498/2015 and therefore, basically seeks execution of said order. We accordingly, convert this Original Application in an Execution Application in O.A No.498/2015 and Registry shall re-register this matter as Execution Application as directed above.

5. Notices shall be issued to the following:

I. State of Uttarakhand through Secretary, Environment Forest and Climate Change, 85 Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand

II. State of Uttarakhand through Secretary, Energy, Secretariat-4, Subhash Road, Dehradun

III. State of Uttarakhand through Secretary, Irrigation, Subash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun, Uttarakhand

IV. Parvatiya Power Plant Ltd., Loharkhet, Hydro Electric Power Plant, Loharkhet District Bageshwar thorugh its Chairman/Managing Director

6. Office shall issue notices to the above respondents who shall file their reply with regard to the compliance of Tribunal's order dated 09.08.2017 passed in ***O.A. No.498/2015 Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors***. Within one month from the date of receipt of notice.

7. List for further hearing on 15.01.2025.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November25, 2024
Original Application No.1292/2024
M

Pradeep Datta

सत्यमेव जयते

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

******

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024,
दूरभाष–2324023,
फैक्स–2326696

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./01/48/2008/एफ.सी. | 291 | दिनांक : 17.02.2008

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

विषय : जनपद बागेश्वर में लोहारखेत लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु पर्वतीय पावर प्रा० लि०, रानीखेत के पक्ष में 2.878 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन की संशोधित स्वीकृति जारी किए जाने के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भ : नोडल अधिकारी, उत्तरांचल का पत्रांक 3108/1डी–1457 (रा०) दिनांक 01.02.2008 ।

******

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर किए जाने वाले कार्य में उचित संशोधन कर प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मॉंगी थी । नोडल अधिकारी, उत्तरांचल ने अपने पत्र दिनांक 18.02.2008 द्वारा प्रस्ताव पर जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की है ।

अतः राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बागेश्वर में लोहारखेत लघु जल विद्युत परियोजना के संशोधित प्रस्ताव हेतु पर्वतीय पावर प्रा० लि०, रानीखेत के पक्ष में 2.878 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
2. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर 5.752 हे० अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा ।
3. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर प्रस्तावित पावरक्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा ।
4. याचक विभाग द्वारा जनपद कार्यदल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।
5. याचक विभाग वन विभाग को वानिकी कार्यों हेतु निःशुल्क जलापूर्ति करेगा ।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
8. याचक विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 202/1995 की आई०ए० 566 में निर्धारित की गयी शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की राशि याचक कोष में जमा करेगा बाद में इस राशि को राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं योजना संस्था (Compensatory Afforestration, Management and Planning Agency) को हस्तांतरित करेगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अन्य शर्तें, यदि कोई हो तो उनका अनुपालन किया जायेगा ।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(एस०एस० यादव)
उप–वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तरांचल ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।
4. परियोजना प्रभारी, लोहारखेत जल विद्युत परियोजना, पर्वतीय पावर प्रा० लि०, रानीखेत ।
5. आदेश पत्रावली ।

[एस०एस० यादव]
उप–वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Sri Pakhariyal
Page 2.

संख्या जी0आई0:- 1045 /7-1-2006-300(1421)/2005

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून: दिनांक 07. मार्च ~~फरवरी~~, 2006.

विषयः– जनपद–बागेश्वर में लोहारखेत लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 2.876 है0 वन भूमि का पर्वतीय पावर प्रा0 लि0, रानीखेत को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–3464/1जी–1457(बागे0) दिनांक 18–02–2006 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–बागेश्वर में लोहारखेत लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 2.876 है0 वन भूमि का पर्वतीय पावर प्रा0 लि0, रानीखेत को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सख्या–8बी/यू.सी.पी./01/45/2006/एफ0सी0/2931 दिनांक 17–02–2006 में दी गयी स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेंसी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेंसी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग

जो प्रयोक्ता एजेसी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

7. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुचायें, इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन्हें ईंधन की लकडी अथवा अन्य ईंधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार के श्रमिक हट (Labour Camps) स्थापित न किये जायें।

9. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 5.752 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग को वानिकी कार्यों हेतु निःशुल्क जलापूर्ति की जायेगी।

13. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुच्छेद–5 के अनुसार वन क्षेत्र में पारेषण लाईन के बिछाने से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा।

16. प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा अर्थात वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अवधि / 99

17. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या: 198/7–जी–सी–89 –3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व 'लेखाशीर्षक–'0070'–

Scanned with CamScan

अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01– की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

18. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।

19. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2– उक्त कम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या जी0आई0 164/7–1–2001–300/2000 दिनॉक 8–2–2001 को निरस्त समझा जाय।

3– उक्त आदेश कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दिनांक–1–1–2001, सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दिनांक–4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या– 156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 1045/7–1–2006–300(1421)/2006 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरॉचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तरॉचल शासन।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. परियोजना प्रभारी, लोहारखेत जल विद्युत परियोजना, पर्वतीय पावर प्रा0 लि0, रानीखेत।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संलग्न (3)

SALIENT FEATURES

1.	**LOCATION**	
(i)	State	Uttranchal
(ii)	District	Bageshwar
(iii)	Town	Loharkhet
(iv)	Access Road	Bageshwar – Kapkot – Pindari Road
(v)	Geographical Coordinates	
	i) Longitudes	79° 57' 30" E
	ii) Latitudes	30° 02' 00" N
2.	**RIVER CATCHMENT**	
(i)	Catchment	Sarju
(ii)	River	Sarju
(iii)	Tributary	Kali Ganga
(iv)	Sub-Tributary	Kori Ganga
3.	**HYDROLOGY**	
(i)	Catchment area of the stream / Nala	780 sq.km
(ii)	Catchment area of the diversion site	57 sq.km
(iii)	Dependable yield (wherever applicable)	Not applicable
(iv)	Climate data Atmospheric Temperature (°C)	Maximum 30° C; Minimum 0° C; Mean 18° C
4.	**MEDIUM HEAD SCHEME**	
(a)	*Diversion Structure (Head works)*	
i)	Type of Structure	Trench Type Weir
ii)	Length	19 m
iii)	Maximum Discharging Capacity	4.104 cumecs

Parvatiya Power (P) Ltd.
CERTIFIED TRUE COPY
Parvatiya Power (P) Ltd.
Executive Director

41

Scanned with CamScanner

पर्वतीय
पावर लिमिटेड
लोहारखेत हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लान्ट
मुनार साइट ऑफिस- पी.पी.एल.कपकोट
सावधान-विद्युत उत्पादन संयत्र में बिना आज्ञा बाहरी व्यक्ति का
प्रवेश निषेध है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उक्त
व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। आज्ञा से- परियोजना प्रबंधक

(1)

2

संलग्नक-(6) 47

Final Document
on
Revised
Classification
of
Industrial Sectors
Under

Red, Orange, Green and White Categories

(February 29, 2016)

cpcb

Central Pollution Control Board

Delhi

- Industrial Sectors having Pollution Index score of 60 and above - Red category
- Industrial Sectors having Pollution Index score of 41 to 59 -Orange category
- Industrial Sectors having Pollution Index score of 21 to 40 -Green category
- Industrial Sectors having Pollution Index score incl.&upto 20 -White category

The newly introduced White category of industries pertains to those industrial sectors which are practically non-polluting such as Biscuit trays etc. from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines), Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dying/washing operation), Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only, Scientific and mathematical instrument manufacturing, Solar power generation through photovoltaic cell, wind power and mini hydel power (less than 25 MW).

The salient features of the 'Re-categorization' Exercise are as follows:

- Due importance has been given to relative pollution potential of the industrial sectors based on scientific criteria . Further, wherever possible, splitting of the industrial sectors is also considered based on the use of raw materials, manufacturing process adopted and in-turn pollutants expected to be generated.
- The Red category of industrial sectors would be 60.
- The Orange category of industrial sectors would be 83.
- The Green category of industrial sectors would be 63.
- Newly introduced White category contains 36 industrial sectors which are practically non-polluting.
- There shall be no necessity of obtaining the Consent to Operate" for White category of industries. An intimation to concerned SPCB / PCC shall suffice.
- No Red category of industries shall normally be permitted in the ecologically fragile area / protected area.

The purpose of categorization is to ensure that the industry is established in a manner which is consistent with the environmental objectives. The new criteria will prompt industrial sectors willing to adopt cleaner technologies, ultimately resulting in generation of fewer pollutants. Another feature of the new categorization system lies in facilitating self-assessment by industries as the subjectivity of earlier assessment has been eliminated. This 'Re-categorization' is a part of the efforts, policies and objective of present government to create a clean & transparent working environment in the country and promote the Ease of Doing Business.

Other similar efforts include installation of Continuous Online Emissions/ Effluent Monitoring Systems in the polluting industries, Revisiting of the CEPI (Comprehensive Environment Pollution Index) concept for assessment of polluted industrial clusters, Revision of existing industrial Emission/Effluent discharge standards, initiation of special drive on pollution control activities in Ganga River basin and many more in coming future.

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–837/2025/1481 दिनांक 03.01.2025

कोर्ट मैटर

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
महारानी बाग, जी.एम.एस. रोड़
देहरादून–248006
E-mail ID- md@ujvnl.com, mdujvnl@ujvnl.com

विषयः– पर्वतीय पॉवर लि0 (4.8 MW) मुनार, लोहारखेत द्वारा छोड़े जाने वाले प्रतिदिन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह ई–फ्लो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवदेन सं0 1292/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

> *6. Office shall issue notices to the above respondents who shall file their reply with regard to the compliance of Tribunal's order dated 09.08.2017 passed in O.A. No.498/2015 Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. Within one month from the date of receipt of notice.*

तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.12.2024 को इकाई का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया कि *"मै0 पर्वतीय पॉवर प्रा0 लि0 (4.8 MW) मुनार परियोजना द्वारा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई–फ्लो) के आंकलन हेतु इनटेक प्वाइंट पर कोई भी श्राव मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट के संचालन की स्थिति में इनटेक चैनल से 15 प्रतिशत विद्युत लोड कम कर टरबाईन मशीन चलाने हेतु पानी टनल में लेकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा 15 प्रतिशत पानी ओवर फ्लो के रूप में नदी में वापस प्रवाहित होता है। जिसे इनटेक प्वाइंट पर बने गेट से नियंत्रित किया जाता है।"* जिससे उपरोक्त निरीक्षण में यह सत्यापित नहीं हो पाया कि परियोजना द्वारा कितनी मात्रा में जलप्रवाह छोडा जा रहा है।

मा0 अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 491/2015 Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. में पारित आदेश के अनुपालन हेतु आपसे अपेक्षित है कि प्रश्नगत मै0 पर्वतीय पॉवर प्रा0 लि0 जल विद्युत परियोजना, मुनार, लोहारखेत, बागेश्वर द्वारा छोडे जाने वाले न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव ई–फ्लो का विवरण मानदण्डो सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना चाहें जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को नियत है।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव